निजी ध्यानार्थ

संख्याःई0डी0एन–एच0ई0(10)एफ0(10)01 / 2023–24–भाग– I I
उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला–1
Tel:01772656622,Ext-226 E-mail:nsphpsml@gmail.com

दिनांक शिमला–1 जनवरी,2024

सेवा में,

1 समस्त कुलपति / कुलसचिव / प्राचार्य,
समस्त राजकीय तथा निजी शैक्षणिक संस्थान,
(हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्य जहां हिमाचली छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा अनुसूचित जाति पूर्व–मैट्रिक अथवा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृति हेतु वर्ष 2022–23 में आवेदन किया गया हैं।)

2 सभी उपनिदेशक उच्च शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश

06 JAN 2024

3 सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक,
राजकीय निजी वरिष्ठ माध्यमिक / उच्च पाठशालाएं,
हिमाचल प्रदेश

विशयः– **वर्ष 2022–23 में केंद्र और राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गते छात्रवृत्ति जारी करने के लिए छात्रों के बचत बैंक खाते के साथ आधार को जोड़ने (Seeding of Bank Account With Aadhaar) बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर, आपका ध्यान इस निदेशालय के पत्र सख्या सम दिनाक 15–05–2023, दिनांक 20–06–2023, दिनांक 17–07–2023, दिनांक 01–08–2023, दिनांक 01–09–2023 तथा दिनांक 10–11–2023 की ओर आकर्षित करते हुए जिसमें सूचित किया गया था कि प्री–मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 7269 विद्यार्थियों ने तथा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के तहत 4605 विद्यार्थियों ने अपने बैंक खाते को आधार नंबर से सीड नहीं किया है। जिस कारण इन विद्यार्थियों को वर्ष 2022–23 की छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा सकी है।

इस सन्दर्भ में, सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा कुलसचिव, प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापकों सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान (हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्य जहां हिमाचली छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं) के प्राचार्य से पुनः आग्रह किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों को उपरोक्त वर्णित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त नहीं हुई है, को उनके बैंक खाते को आधार से सीड करने बारे आवश्यक सहायता प्रदान करें। विद्यार्थी स्वयं अपने आधार को बैंक खाते के साथ सीड करने बारे यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर स्वयं सीडिंग की स्थिति की जांच कर सकते हैं। ताकि शेष विद्यार्थियों को वर्ष 2022–23 की छात्रवृत्ति को छात्रवृत्ति जारी की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि छात्रवृति प्राप्त करने के लिए बैंक खाते को आधार से सीड करना अनिवार्य है। बैंक खाते को मात्र आधार से लिंक करने से छात्रवृति प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। अतः छात्रवृति प्राप्त करने हेतु बैंक खाते की NPCI से मैपिंग करवाना अनिवार्य है तथा यह प्रक्रिया सम्बन्धित बैंक द्वारा की जाती है।

आपका सहयोग छात्रों के हित में अपेक्षित है और कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

(डॉ0 अमरजीत शर्मा),
निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक शिमला–1 जनवरी 2024

1. तकनिकी अधिकारी, आई0टी0 सेल, को निर्देश दिए जाते हैं कि वह पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
2. रक्षक नस्ति।

निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1